



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2014/भाद्र 4, 1936

No. 447]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2014/BHADRA 4, 1936

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 के नियम 5 में,—

- (i) उपनियम (1) के खंड (i) का लोप किया जाएगा ;
- (ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) प्राधिकरण की अवधि 30 सितम्बर, 2014 तक होगी”।

[फा.सं.जे-22012/31/2005-सीएस(डब्ल्यू)]
बृजेश सिक्का, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 951(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

G.S.R. 617(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, namely:—

In the Wetlands (Conservation and Management) rules, 2010, in rule 5,—

- (i) in sub-rule (1), clause (1) shall be omitted;
- (ii) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The term of the Authority shall be upto 30th September, 2014”.

[F. No. J-22012/31/2005-CS (W)]
BRIJESH SIKKA, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section, 3 Sub-section (i) vide No. G.S.R. 951 (E), dated 4th December, 2010.